कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज०)

क्रमांक/स्था/2025/ 6 दिनांक 13.02.2025

आदेश

मैं ,**सुनीता नसवारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (**BNSS**) की धारा 12 सपठित धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि **माह मार्च** में कॉलम संख्या–2 में अंकित अवकाशों के दिन डूंगरपुर न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यो की सुनवाई हेतु कॉलम संख्या 3 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:–

क्र सं	दिनांक व वार	अधिकारी का नाम व पदस्थापन
01	02.03.2025 रविवार 30.03.2025 रविवार 31.03.2025 इदूल फितर	श्रीमती मोनिका धनोल न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर
02	08.03.2025 द्वितीय शनिवार 09.03.2025 रविवार	श्रीमती आशा चौहान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
03	13.03.2025 होली अवकाश 14.03.2025 16.03.2025 रविवार	श्री हरीश मेनारिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा
04	22-03-2025 चतुर्थ शनिवार 23-03-2025 रविवार	श्रीमती सीमा मीणा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

1. उक्त रिमाण्ड ड्युटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से डूंगरपुर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के डूंगरपुर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/ 2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्युटी भी उक्त अधिकारी करेंगे। मुख्यालय से बाहर रिमाण्ड ड्युटी के दिन मुख्यालय पर उपस्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रोटोकॉल ड्युटी की जाएगी।

2 तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्युटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

3. किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड, जमानत आदि कार्यो की ड्युटी है, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में रिमाण्ड, जमानत आदि सभी आवश्यक कार्यो हेतु अधिकृत होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. यदि किसी मुख्यालय पर सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हों तो, वे उक्त रिमाण्ड, जमानत आदि का कार्य अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में अपने निवास से संपादित कर सकेंगे।
5 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से 11.30 एएम. से 1.30 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।

6. केवल अपरिहार्य परिस्थतियों व कारणों को छोड़कर, अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किए जाएंगे।

7. डूंगरपुर न्याय क्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से सबंधित प्रकरणों में न्यायिक / पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबध में भी नियमानुसार व विधि अनुसार न्यायिक / पुलिस अभिरक्षा की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

8. न्यायालय के कार्य दिवस के प्रायिक घंटों के अवसान के पश्चात् संबंधित पीठासीन अधिकारी ही अपने न्यायालय के रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे तथा किसी अधिकारी के मुख्यालय परित्याग की स्थिति में लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

दिनांक 13.02.2025

कमांक/स्था./2025/140-157

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल)–

1. **श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर**
2. पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर को वास्ते सूचित करने समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, संचित पुलिस लाईन, आरक्षी केन्द्र व नियंत्रण कक्ष
3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम मामलात न्यायालय/ अतिरिक्त **जिला एवं सैशन न्यायाधीश डूंगरपुर/ सागवाड़ा तथा** समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर न्याय क्षेत्र
4. सहायक निदेशक अभियोजन, डूंगरपुर
5. अध्यक्ष,बार एसोसिऐशन डूंगरपुर/सागवाड़ा/आसपुर/सीमलवाड़ा/बिच्छीवाड़ा
6. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह डूंगरपुर/ उप कारागृह सागवाड़ा
7. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय डूंगरपुर (E courts Dungarpur की website पर upload करने हेतु)
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
9. आदेश / संबंधित पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner